

निर्णय नं इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर प्राचीन  
प्रकरण संख्या 127/2024 (धारा 14 शिक्कोरिटाईजेशन)  
आवास फाईनेशियर्स लि. (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजीकृत कार्यालय 201-202 प्लॉट संख्या  
एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डरस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।

प्राची वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री बाबूलाल सैनी पुत्र श्री बोदू राम सैनी जरिये विधिक वारिसान,

A. श्रीमती नानुडी देवी पत्नी स्व. श्री बाबूलाल सैनी,

B. श्री रोहिताश सैनी पुत्र स्व. श्री बाबूलाल सैनी,

C. श्री राकेश सैनी पुत्र स्व. श्री बाबूलाल सैनी

पता - वार्ड नं. 4, मालियों का मोहल्ला, साईवाड़, जयपुर

एवं खसरा संख्या 1284/806 हाल खसरा संख्या 1286/1284, साईवाड़, पटवार हल्का साईवाड़,  
तहसील शाहपुरा, जयपुर।

2. श्री रोहिताश सैनी द्वारा श्री बाबूलाल सैनी,

3. श्रीमती नानुडी देवी द्वारा श्री बदी प्रसाद सैनी,

पता- वार्ड नं. 4, मालियों का मोहल्ला, जयपुर।

4. श्री राजेश सैनी द्वारा श्री मोती लाल सैनी,

पता- वार्ड नं. 04, साईवाड़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित - श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता प्राची वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 04.07.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राची वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक  
19.08.2023 को पुनर्गुप्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी स्वर्गीय श्री बाबूलाल सैनी जरिये  
विधिक वारिसान के स्वामित्व की संपत्ति खसरा संख्या 1284/806 हाल खसरा संख्या 1286/1284,  
साईवाड़, पटवार हल्का साईवाड़, तहसील शाहपुरा, जयपुर पर स्थित मूखण्ड, क्षेत्रफल 378 वर्गगज  
को बन्धक रख कर राशि 10,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी  
द्वारा प्राची वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के  
अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.04.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी  
किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राची वित्तीय संस्था ने The  
application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial


250  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर (प्राचीन)

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 10,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 10,49,801/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.04.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी स्वर्गीय श्री बाबूलाल सैनी जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्व की बंधक संपत्ति खसरा संख्या 1284/606 हाल खसरा संख्या 1286/1284, साईवाड़, पटवार हल्का साईवाड़, तहसील शाहपुरा, जयपुर पर स्थित भूखण्ड, क्षेत्रफल 378 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(ग्रामीण) जयपुर (ग्रामीण)